राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस. बी. सिविल रिट याचिका सं. 1281/2014

भैरूलाल मीणा

----याचिकाकर्ता

बनाम

राजस्थान राज्य और अन्य

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता (गण) के लिए : श्री के. आर. चौधरी।

प्रतिवादी (गण) के लिए : श्री सरवन कुमार, ए. जी. सी.

माननीय श्री न्यायाधीश अरुण मोंगा

<u>आदेश</u>

<u>05/01/2024</u>

1. याचिकाकर्ता की शिकायत अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 04.01.2012 (अनुलग्नक.पी/4) के आदेश से उत्पन्न हुई है, जिसके तहत, प्रतिवादी संख्या 5 ने याचिकाकर्ता के मामले में कोई संदर्भ नहीं दिया है यथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियमितीकरण का अनुदान।

2. पहले प्रासंगिक तथ्य। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसे प्रतिवादी संख्या 4 यानी प्राचार्य, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, ग्राम लराठी, उदयपुर सरकार के कार्यालय में 01.07.1989 को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया था। 22 साल की सेवा प्रदान करने के बाद, उन्होंने अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग की और नियमित वेतनमान के लिए अनुरोध किया। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा दायर कई अभ्यावेदनों के बावजूद, प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायत का समाधान नहीं किया गया। इसके बाद उन्होंने उदयपुर के संयुक्त संभागीय आयुक्त कार्यालय में श्रम सुलह और कल्याण अधिकारी के समक्ष विवाद उठाया। सुलह की कार्यवाही विफल हो गई

और मामले को श्रम विभाग/प्रतिवादी संख्या 5 को संबंधित श्रम न्यायालय को संदर्भित करने के लिए भेजा गया। प्रतिवादी संख्या 5 ने दिनांक 04.01.2012 के आक्षेपित आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता के मामले में संदर्भ नहीं दिया। इसलिए यह रिट याचिका।

3. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 द्वारा याचिका पर दिए गए जवाब के अनुसार, दिनांक 04.01.2012 का आदेश उचित और वैध है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 4 के पास स्कूल में किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त करने संबंधित क्षमता नहीं है। याचिकाकर्ता की याचिका योग्यता रहित होने की वजह से रिट खारिज किए जाने के योग्य है।

4. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वियों की दलीलें सुनी हैं और मामले की फाइल का अध्ययन किया है।

5. अभिवचनों और उसमें संलग्न अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा यहाँ दायर याचिका में सकारात्मक मामला यह है कि उसे सरकारी माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के रूप में 01.07.1989 को नियुक्त किया गया था।

6. हालाँकि, याचिका में यह विशेष रूप से नहीं कहा गया है, लेकिन रिकॉर्ड से यह पता चलता है कि उन्हें शुरू में 1,500/- रुपये के मासिक भुगतान पर नियुक्त किया गया था। काफी लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने के बाद, उन्होंने सेवा में नियमितता और नियमित वेतनमान के अनुदान की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जैसा कि नियमित आधार पर काम करने वाले उनके समकक्षों को प्रदान किया जाता है। उसके अभ्यावेदन पर तब से ही कार्यवाही नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने श्रम सुलह और कल्याण अधिकारी, उदयपुर के समक्ष एक विवाद उठाया।

7. श्रम संघ द्वारा 06.02.2012 दिनांकित एक शिकायत दर्ज की गई थी, जिसका स्कूल के प्राचार्य द्वारा दिनांकित 19.03.2012 उत्तर से विधिवत जवाब दिया गया था। जवाब में एक स्पष्ट रुख अपनाया गया कि याचिकाकर्ता यानी भेरू लाल मीणा के नाम से कोई भी व्यक्ति उक्त कार्यालय में काम नहीं कर रहा है और इसलिए शिकायत पूरी तरह से निराधार थी और किसी नियोक्ता या कर्मचारी के किसी भी संबंध को स्थापित करने के लिए आवश्यक विवरणों का अभाव था।

8. प्रधानाचार्य के जवाब का विधिवत जवाब श्रम संघ द्वारा दायर किए गए प्रत्युत्तर दिनांक 24.04.2012 (अनुलग्नक P/3) द्वारा दिया गया था, जिसमें इस दावे का खंडन किया गया था कि भेरू लाल मीणा प्रधानाचार्य के कार्यालय में काम नहीं करते हैं। यह दोहराया गया कि वह 1985 से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे थे, शिकायत के साथ या प्रत्युत्तर के साथ धुंधले दावे के अलावा कोई पुष्टिकारक सामग्री संलग्न नहीं की गई थी।

9. जो भी हो, यह न्यायालय याचिकाकर्ता के नियुक्ति के लिए आवश्यक विवरणों की कमी के कारण विवाद का फैसला करने में भी असमर्थ है। इसलिए ऐसा लगता है कि यह श्रम सुलह और कल्याण अधिकारी के सामने हुआ, जिन्होंने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इन आधारों पर सरकार द्वारा दिए गए संदर्भ को भी अस्वीकार कर दिया गया था।

10. इसलिए, विवाद का सार जो उभरता है, वह यह है कि याचिकाकर्ता जो खुद को चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी होने का दावा करता है, नियमित करने की मांग करता है, जिसने 1989 से निर्बाध सेवाएं प्रदान की हैं। उस सीमा तक, यदि सत्यापन पर, प्रतिवादी संख्या 3 से 4 द्वारा ऐसा पाया जाता है, तो याचिकाकर्ता को, निश्चित रूप से, कानून के अनुसार, नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने का अधिकार है।

14. यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि विचार किए जाने का अधिकार राज्य की लागू नियमितीकरण नीति एवं सर्वोच्च न्यायालय के कर्नाटक राज्य एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य (2006) 4 एससीसी 1 में दिए गए निर्णय के अनुसार होना चाहिए। उस सीमित सीमा तक, याचिकाकर्ता इस न्यायालय के अनुग्रह का हकदार है।

15. तदनुसार रिट याचिका का निपटारा याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी यानी प्रतिवादी संख्या 2-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दायर करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है, जो पहले प्रतिवादी संख्या 4 के साथ याचिकाकर्ता के दावे का सत्यापन करेगा और उसके बाद, लागू नियमितीकरण नीति के साथ-साथ उमा देवी मामले के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार उचित प्रशासनिक आदेश पारित करेगा।

16. लंबित आवेदन (ओं), यदि कोई हों, तो उनका भी निपटारा किया जाता है।

(अरुण मोंगा), जे.

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।

अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।